



## प्रेस विज्ञप्ति

30/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 26.08.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसमें क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/यॉर्करएफएक्स/बॉटब्रो घोटाला मामले में आरोपी व्यक्तियों, एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 9.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसे नवाब उर्फ लविश चौधरी ने राजेंद्र कुमार सूद और अन्य के साथ मिलकर अंजाम दिया था। कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में स्थित आवासीय फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि सहित 45 अचल संपत्तियाँ, साथ ही बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियाँ शामिल हैं। जाँच से पता चला है कि ये संपत्तियाँ 2019 से 2025 के बीच घोटाले की अवधि के दौरान अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग करके कई बैंक खातों के माध्यम से अर्जित की गईं और मुख्य अभियुक्तों के करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर भेजी गईं।

पीएओ में विस्तृत कार्यप्रणाली एक विशिष्ट पॉजी-सह-एमएलएम योजना को दर्शाती है, जहां निवेशकों के धन को डायवर्ट किया गया, विभिन्न खातों के माध्यम से स्तरित किया गया और अंत में अचल संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया गया। क्यूएफएक्स समूह ने विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से उच्च मासिक रिटर्न (5-6%) का वादा करके निवेशकों को आकर्षित किया, हालांकि वास्तव में कोई व्यापार नहीं हुआ। यह पीओसी क्यूएफएक्स समूह की संस्थाओं जैसे कि क्यूएफएक्स डिजिटल सर्विसेज, क्यूएफएक्स एजुकेशन, एटलांटियोर स्पोर्ट्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, आदि से संबंधित कई बैंक खातों में वितरित किए गए थे, और फिर इन खातों से आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों और एजेंटों, जैसे कि केवल किशन, दिनेश कुमार चोपड़ा, चमन लाल, साजिद अली, राशिद अली आदि के खातों में स्थानांतरित कर दिए गए थे। इन बहुस्तरीय निधियों से, अभियुक्तों की पत्नियों, बेटों और रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियाँ अर्जित की गईं, ताकि दूषित धन को उसके स्रोत से दूर रखा जा सके।

पीएओ इस मामले में ईडी की 11.02.2025 और 04.07.2025 को की गई पिछली कार्रवाई के सिलसिले में आया है, जब क्यूएफएक्स ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़, उसके प्रमोटरों और एजेंटों से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। उस कार्रवाई के दौरान, ईडी ने 394 करोड़ रुपये के पीओसी वाले 194 खच्चर बैंक खातों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिनकी पहचान क्यूएफएक्स के लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका इस्तेमाल पीओसी के लिए लेयरिंग के लिए किया जाता था। इन तलाशियों और अनुवर्ती जाँच से ऐसे सबूत सामने आए जो दर्शाते हैं कि धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को उनके अवैध स्रोतों को छिपाने के लिए चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों में डायवर्ट और पुनर्निवेशित किया गया था।

क्यूएफएक्स समूह के खिलाफ मामला हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में आईपीसी, बीएनएस और प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज कई एफआईआर से उपजा है। इसलिए, 9.31 करोड़ रुपये की वर्तमान पीएओ, समूह की आपराधिक आय पर एक और कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें से 8.20 करोड़ रुपये

27 एकड़ से अधिक की 45 अचल संपत्तियों से संबंधित हैं और 1.1 करोड़ रुपये चल संपत्तियों से संबंधित हैं। यह नवीनतम कुकी अभियुक्तों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करती है, जो पहले की तलाशी और जब्ती की गति को बढ़ाती है, और घोटाले के वित्तीय संचालन को समाप्त करने में प्रगति को चिह्नित करती है।